HAMIRPUR POLICE

दि0 25.05.2023

''प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 01 वर्ष के कठोर कारवास एवं 7,000/- (सात हजार रुपये)के अर्थदंड की सजा दिलाई:-''

आज दिनांकः- 25.05.2023 को F.T.C.-II कोर्ट द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप,थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 55/2022 धारा- 8/20 NDPS Act में नामजद अभियुक्त राम औतार पुत्र बलवान लोधी नि0 पतरिया डेरा मजरा विलगॉव, थाना जलालपुर जनपद हमीपुर को सजा दिलाई गई।

इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 01 वर्ष के कठोर कारावास एंव 7,000/- सात हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

उ0नि0 अनुज कुमार

एडीजीसी प्रवीण कुमार

पैरोकार का0 सुनीत कुमार

अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 अनुज कुमार, एडीजीसी प्रवीण कुमार व पैरोकार जलालपुर का0 सुनीत कुमार का सराहनीय योगदान रहा।